सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

# न्यायालय उपखण्डाधिकारी सैपऊ

पीठासीन अधिकारी – हरिसिह लंबोरा (आर0 ए0 एस0)
प्रकरण संख्या– 105/2014

रामनाथ पुत्रश्री मनिका जाति लोधा निवासी ग्रम भूरा का पुरा तहसील सैपऊ जिला धौलपुर

.....वादी

बनाम

1–मुन्ना 2–लटूर पुत्रगण रतनसिह जाति लोधा निवासी भूरा का पुरा तहसील सैपऊ 3–शीला पुत्री रतनसिह पत्नी सुक्खन जाति लोधा निवासी सायपुर तहसील सैपऊ 4–दीवानसिह पुत्र नत्थीलाल 5–सावित्री पत्नी बच्चूसिह जातिगण लोधा निवासीगण भूरा का पुरा तहसील सैपऊ 6–राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार सैपऊ

.....प्रतिवादीगण

दावा स्वत्व घोषणा एव स्थाई
निषेधाज्ञा धारा 88,188आरटीए

उपस्थिति – 1–श्री *योगेशकुमार शर्मा एडवोकेट* ..... (वादीगण)

उपखण्ड अधिकारी सैपऊ

निर्णय दिनांक 10.07.2019

वादी द्वारा उक्त उनवानी प्रकरण न्यायालय में इन तथ्यों के साथ प्रस्तुत किया कि विवादित आराजी खसरा नम्बर 1222 रकवा 17 विश्वा वाके ग्राम भूरा का पुरा तहसील सैपऊ में स्व0 रतनसिह पुत्र हरगोविन्द जाति लोधा निवासी भूरा का पुरा 1/2 भाग का एंव तरतीवी प्रतिवादी संख्या 4, 1/2 भाग के खातेदार काश्तकार थे। स्व0 रतनसिह ने अपने 1/2 भाग मे से 1/2 भाग दिनांक 18.7.2005 को जरिये रजिस्टर्ड विक्रय पत्र वादी के पक्ष में विक्रय कर दिया तथा शेष भाग मे से 2/17 भाग तरतीवी प्रतिवादिया 5 को विक्रय कर दिया। इस प्रकार वर्तमान में विवादित अराजी मे वादी 1/4 भाग का तरतीवी प्रतिवादी संख्या 4 1/2 भाग के एंव तरतीवी प्रतिवादी संख्या 5 2/17 भाग के खातेदार काश्तकार है और मौके पर काबिज है। तरतीवी प्रतिवादी संख्या 5व6 चूंकि विवादित आराजी में सहकाश्तकार है तथा प्रतिवादी संख्या 6 आराजी का लैण्डहोल्डर है इसलिए उन्हें तरतीवी प्रतिवादीगण बनाया है उनके विपरीत इस प्रकरण में कोई अनुतोष नहीं चाहा गया है वादी ने विवादित आराजी में स्व0 रतनसिंह से उसके 1/2 भाग में से 1/2 भाग अर्थात कुल आराजी में से 1/4भाग का बयनामा अपने पक्ष में कराने के बाद असल बयनामा वाश्ते दाखिल खारिज सम्बन्धित पटवारी को दे दिया पटवारी द्वारा वादी को यह आस्वासन दिया कि वह उसके नाम दाखिला खारिज कर देगा और असल बयनामा पटवारी अपने रिकॉर्ड में रखेंगे इस कारण वादी ने असल बयनाम पटवारी से वापस लेने की कोई आवश्यकता नहीं समझी और वादी इस

उपखण्ड अधिकारी

विश्वास में भी रहा कि पटवारी द्वारा नामान्तकरण करने का भरोशा दिला दिया है तो वादी के नाम दाखिला खारिज भी कर दिया जावेगा। आज से करीब 8 माह पूर्व वादी ने विवादित आराजी की नकल जमाबन्दी पटवारी से प्राप्त की तो ज्ञात हुआ कि विवादित आराजी पर वादी के नाम नामान्तकरण नहीं हुआ है बल्कि स्व0 रतनसिंह के वारिसान असल प्रतिवादीगण के नाम विरासतन दाखिल खारिज कर दिया गया है। गलत इन्द्राजों अर्थात वादी के नाम उसके खरीदे हुये हिस्से पर नामान्तकरण नहीं हो पाने की जानकारी होते ही वादी ने असल प्रतिवादीगण से कहा कि विवादित आराजी में से 1/4 भाग आपके पिता स्व0 रतनसिंह ने वादी को विक्रय कर दिया है किसी भूल से पटवारी द्वारा उसके नाम दाखिल खारिज नहीं किया है इसलिये आप स्वयं चलकर वादी के नाम 1/4भाग पर दाखिला खारिज कराने की कोशिश करो तो असल प्रतिवादीगण अब तक वादी को नामान्तकरण कराने की कहते आये अर्थात आस्वासन देते चले आये । अन्तिमवार दिनांक 20.03.14 को वादी ने असल प्रतिवादीगण विवादित आराजी पर 1/4 भाग पर वादी का नाम इन्द्राज कराने की पेशकश की तो असल प्रतिवादीगण द्वारा दाखिल खारिज वादी के नाम कराने से ना केवल इन्कार किया बल्कि वादी के अधिकारों को अस्वीकार करते हुये धमकी दी कि वादी आइन्दा विवादित आराजी में काश्त करने की कोशिश भी नहीं करे अन्यथा परिणाम वादी को गंलत भुगतना पडेगा प्रतिवादीगण द्वारा उक्त चेतावनी एवं धमकी देने के कारण वादी ने सम्बन्धित पटवारी से असल विक्रय पत्र लौटाने की भी प्रार्थना की तो सम्बन्धित पटवारी द्वारा बताया गया कि उसके पास कोई बयनामा नहीं है बयनामा गुम हो गया है अतः यह दावा विक्रय पत्र की प्रमाणित प्रतिलिपि के आधार पर प्रस्तुत करना आवश्यक हो गया है । वादकरण दिनांक 20.03.14 को प्रतिवादीगण असल द्वारा वादी के अधिकार खातेदारी से इन्कारी होने पर वादी के कब्जे काश्त में मजाहमत व मदाखलत करने का धमकी देने पर बमुकाम ग्राम भूरापुरा तहसील सैपऊ अन्दर हदूद हखत्यार समाअत अदालत हाजा पैदा हुई है

अन्त में निवेदन किया है कि दावा वादी डिक्री किया जाकर वादी को विवादित आराजी में 1/4 भाग का खातेदार काश्तकार घोषित किया जावे तथा 1/4 भाग असल प्रतिवादीगण के हिस्से में से कम किया जावे तथा असल प्रतिवादीगण को जरिये अस्थायी निषेधाज्ञा पाबन्द किया जावे कि वे वादी के कब्जे काश्त में किसी प्रकार की मजाहमत मदाखलत वेजा नहीं करें तथा वर्तमान राजस्व अभिलेखों में दुरस्ती करते हुये वादी का नाम 1/4 भाग पर बतौर खातेदार काश्तकार अंकित किया जावे ।

दावा वादी दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया। प्रतिवादीगण बाबजूद तामील के उपस्थित नही । हमने विद्वान अभिभाषक एकपक्षीय बहस सुनी तथा पत्रावली का अवलोकन किया इससे हम पूर्णतय सहमत है तथा वाद वादी विरूद्व प्रतिवादीगण डिक्री करना उचित समझते है।

अतः आदेश है कि दावा वादीगण विरूद्व प्रतिवादीगण डिक्री किया जाता है कि वादीगण को आराजी खसरा नम्बर 1222 रकवा 17 विश्वा वाके ग्राम भूरा का पुरा तहसील सैपऊ में 1/4 भाग का खातेदार काश्तकार घोषित किया जावे तथा 1/4 भाग असल प्रतिवादीगण के हिस्से में से कम किया जावे तथा असल प्रतिवादीगण को जरिये अस्थायी निषेधाज्ञा पाबन्द किया जावे कि वे वादी के कब्जे काश्त में किसी प्रकार की

उपखण्ड अधिकारी
सैपऊ

हमत मदाखलत वेजा नहीं करें तथा वर्तमान राजस्व अभिलेखों में दुरस्ती करते हुये वादी का नाम 1/4 भाग पर बतौर खातेदार काश्तकार अंकित किया जावे ।
तथा प्रतिवादीगण को जरियें स्थाई निषेधाज्ञा पावन्द किया जाता है कि वह वादी की कब्जे काश्त में किसी प्रकार का कोई भी हस्तक्षेप नही करे । पर्चा डिक्री जारी हो । पत्रावली फैसल शुमार होकर दाखिल दफ्तर हो ।

निर्णय आज दिनांक 10.07.2019 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायलय में सुनाया गया ।

हरीसिह लम्बोरा
उपखण्ड अधिकारी
सैंपऊ

अधिकारी
सैंपऊ